संचिका सं0–10 / उपकेन्द्र–09–01 / 2018........1583(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक– 26-3-2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के सोनवर्षा, जगदीशपुर प्रखंड के तरडीहा, नवगछिया प्रखंड के श्रीपुर एवं शाहकुण्ड प्रखंड के चाड़ा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण कार्य हेतु कुल बकाये राशि रुपये 9,01,100x4=36,04,400/- (छत्तीस लाख चार हजार चार सौ रुपये) व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 में राज्य के 751 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण हेतु RIDF- XI नाबार्ड ऋण योजना अन्तर्गत प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र रुपये 6,48,900 / –(छः लाख अड़तालिस हजार नौ सौ रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें बिहपुर प्रखंड के सोनवर्षा, जगदीशपुर प्रखंड के तरडीहा, नवगछिया प्रखंड के श्रीपुर एवं शाहकुण्ड प्रखंड के चाड़ा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण भी शामिल था लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण भवन निर्माण नहीं कराया जा सका, तत्पश्चात् भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में सचिव, स्वास्थ्य–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना का पत्रांक–28757, दिनांक–01.08.2011 से पूर्व में स्वीकृत राशि को संशोधित करते हुए प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण हेतु कुल रुपये 15,57,000 / – (पन्द्रह लाख सन्तावन हजार रुपये) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। RIDF- XI नाबार्ड ऋण योजना अब समाप्त हो चुकी है।

(2) उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को भवन निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण संबंधी कार्रवाई की जा चुकी है परन्तु बकाये राशि का भुगतान अबतक नहीं किया जा सका है । अतएव तद्क्रम में बिहपुर प्रखंड के सोनवर्षा, जगदीशपुर प्रखंड के तरडीहा, नवगछिया प्रखंड के श्रीपुर एवं शाहकुण्ड प्रखंड के चाड़ा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माणोपरान्त बकाये राशि प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र रुपये (15,50,000–6,48,900) 9,01,100 / –(नौ लाख एक हजार एक सौ रुपये) अर्थात् कुल 9,01,100x4=36,04,400/-(छत्तीस लाख चार हजार चार सौ रुपये) का भुगतान करने का अनुरोध जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, भागलपुर के पत्रांक–1331, दिनांक–09.12.2017 एवं कार्यपालक निदेशक–सह–विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6078, दिनांक–15.01.2018 से किया गया है। तदावलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहपुर प्रखंड के सोनवर्षा, जगदीशपुर प्रखंड के तरडीहा, नवगछिया प्रखंड के श्रीपुर एवं शाहकुण्ड प्रखंड के चाड़ा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण कार्य के मात्र बकाये राशि का भुगतान हेतु कुल रुपये 9,01,100x4=36,04,400/-(छत्तीस लाख चार हजार चार सौ रुपये) मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0102–ग्रामीण अस्पतालो के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड–03-4210021100102, विषय शीर्ष–(53 01)–मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

(5) यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010, 1014/वि0(2) दिनांक–03.02.2011, 1752/वि0(2), दिनांक–01.03.2011 एवं 2837/वि0(2) दिनांक–29.03.2011 एवं अद्यतन परिपत्र के आलोक में निर्गत किया जा रहा है ।

(6) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998 में निकासी से संबंधित निदेश का अनुपालन करते हुए राशि की निकासी करेंगे ।

(7) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।

(8) प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/उपकेन्द्र–09–01/2018 के पृष्ठ–........./टि0 पर प्राप्त है ।

(9) राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

(11) संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक:– 1583(10) /स्वा0, पटना, दिनांक:– 26-3-2018

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/सिविल सर्जन, भागलपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहपुर, जगदीशपुर, नवगछिया एवं शाहकुण्ड (भागलपुर)/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–10/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/3/18

सरकार के विशेष सचिव ।